विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 9 अप्रैल, 2010 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 39वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की उनतालीसवीं (39वीं) बैठक श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 9 अप्रैल, 2010 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 574 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 353 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 1,28,390 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 4,89,831 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान, एसईजेड से लगभग 1,52,092 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है।

मद संख्या 39.1 और 39.2 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव :

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. कोडूर एवं सेट्टीपल्ली गांव, चिलमातुर मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 10.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेशंस लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 39.1 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोडूर एवं सेट्टीपल्ली गांव, चिलमातुर मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 10.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेशंस लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. अंगामाली गांव, एर्नाकुलम, केरल में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 39.1 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एयरक्राफ्ट की मरम्मत / अनुरक्षण का प्रस्ताव किया है। स्पष्ट किया गया कि ऐसी मरम्मत / अनुरक्षण के संबंध में इसे डीटीए क्लियरेंस आधार पर स्वीकृत माल के समकक्ष समझा जाएगा। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अंगामाली गांव, एर्नाकुलम, केरल में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. मुप्पीरेड्डीपल्ली गांव, टूपरन मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्नीक्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 39.1 - क्रमांक iii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मुप्पीरेड्डीपल्ली गांव, टूपरन मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्नीक्स लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. तुर्कपल्ली गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सुचिरइंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 39.1 - क्रमांक iv) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तुर्कपल्ली गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सुचिरइंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. महरूमकला, महरूमकुर्द एवं चवेली गांव, राजनंदगांव जिला, छत्तीसगढ़ में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 39.1 - क्रमांक vi) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। महरूमकला, महरूमकुर्द एवं चवेली गांव, राजनंदगांव जिला, छत्तीसगढ़ में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में 128 के क्षेत्रफल में मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉपर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 39.2 – क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में 128 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कॉपर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्री इंडिया

लिमिटेड के अनुरोध को सन्निकटता स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हेब्बल - हूटगल्ली, मैसूर, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 39.1 - क्रमांक v) :

भूमि पर विकासक का कब्जा है तथा राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि प्रस्तावित भूमि में भवन संरचनाएं मौजूद हैं - साइट पर एलएंडटी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केन्द्र है जिसे विकासक इनहाउस प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग करने का इरादा रखता है तथा एक वेयरहाउस है जो प्रयोग में नहीं है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने रिक्ति का मुद्दा उठाया। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निदेश दिया कि विकासक इस आशय का वचन पत्र प्रदान करे कि वेयरहाउस को खाली रखा जाएगा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रयोक्ताओं का ब्यौरा भी प्रदान किया जाए।

मद संख्या 39.3 : डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची में वृद्धि

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की यह राय थी कि डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों से विकासकों के लिए यूनिट अनुमोदन समितियों की पूरी तरह अनदेखी करना आवश्यक हो जाएगा। स्पष्ट किया गया कि डिफाल्ट अधिकृत प्रचालन केवल ऐसे प्रचालनों का प्रावधान करते हैं जो विकासक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं तथा किसी भी स्थिति में यूनिट अनुमोदन समिति अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान कर सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड के स्रोत से वाटर पाइप लाइन कनेक्शन सहित एसईजेड परिसर से बाहर किसी निर्माण कार्य के लिए कोई कर लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। तथापि, डिफाल्ट सूची में वृद्धि की पुष्टि करते समय अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित विशिष्ट मदों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी प्रदान की थी :

के स्थान पर	पढ़ें
मालगोदाम	यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित माल गोदाम
प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण

मद संख्या 39.4 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर

निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रोग्रेसिव टेकमार्ट आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के 1.7015 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स प्रोग्रेसिव टेकमार्ट आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के 1.4275 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मज्टीटास्क इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के 1.0700 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स मज्टीटास्क इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के 0.5322 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एएस मल्टीमीडिया सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के 1.0048 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एएस मल्टीमीडिया सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग (सीबीडीटी) के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उपकरण, सेवाओं एवं सामान्य क्षेत्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(vii) राजीव इंफोटेक पार्क, प्लॉट नंबर 28, हिंजवाड़ी, फेस 2, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलीटीज लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग (डीजीईपी) के प्रतिनिधि ने कहा कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में विद्युत दिशानिर्देश विशिष्ट हैं तथा वर्तमान प्रस्ताव इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्व विभाग को यह बताया गया कि लगभग तीन माह पहले उस विभाग को नए विद्युत दिशानिर्देश भेजे गए हैं तथा उनको अपना दृष्टिकोण यथाशीघ्र उपलब्ध कराना है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एकल स्रोत पर विद्युत प्रदान करने तथा वाष्प अवचूषण मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट संस्थापित और शुरू करने के लिए एक सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलीटीज लिमिटेड के अनुरोध को नए विद्युत दिशानिर्देशों के अंतिम रूप दिए जाने तक आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(viii) द्वारकापुरम गांव, नायडूपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 85.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ix) नेल्लिकोड गांव, कोझिकोड जिला, केरल में मैसर्स यूरालुंगाल लेबर कंट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएलसीसीएस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने संगत सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएलसीसीएस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 39.5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य सरकारों से एसईजेड के मास्टर प्लान को अनुमोदित कराने में विकासकों को कठिनाइयां हो रही हैं। सामान्यतया एसईजेड के अनुमोदन के बाद संबंधित राज्य सरकारें अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर मास्टर प्लान को अनुमोदित करती हैं। अधिक दक्ष प्रचालन के लिए यूनिट अनुमोदन समितियों को प्रस्तावित संरचनाओं को पहले अनुमोदित करना चाहिए जो बाद में मास्टर प्लान का आधार बन सकता है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ऐसी संरचनाओं को विशेष रूप से अनुमोदित कर सकता है जो अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार नहीं होंगी। इन आधारों पर एक नीतिगत अनुदेश तैयार किया जा सकता है और परिचालित किया जा सकता है।

(i) भड़ूच जिला, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	सभी आवश्यक साजोसामान एवं इसकी वितरण प्रणाली के साथ कोल फायर्ड बायलर वाला स्टीम जेनरेशन प्लांट	8000 क्षमता - 25 टीपीएच	8000 क्षमता - 25 टीपीएच
2.	सभी साजोसामान तथा इसकी कार्यालय केबिन के साथ तौल	160 क्षमता - 4 x 80 टन या	160 क्षमता - 4 x 80 टन या 100

	सेतु	100 टन	टन
3.	सभी साजोसामान के साथ हाई प्रेशर लिक्विड स्टोरेज टैंक	7200 क्षमता - 2 x 60 मीट्रिक टन (जल आयतन)	7200 क्षमता - 2 x 60 मीट्रिक टन (जल आयतन)
4.	औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ठोस, तरल एवं गैसीय अपशिष्ट आदि के शोधन के लिए आवश्यक मदों एवं साजोसामान के साथ सभी आवश्यक उपकरणों से लैस इनसाइनेटर प्लांट	900 ठोस अपशिष्ट - 1200 किलोग्राम प्रतिदिन तरल अपशिष्ट 125, प्रतिदिन 3 तथा गैसीय अपशिष्ट - 26000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा	900 ठोस अपशिष्ट - 1200 किलोग्राम प्रतिदिन तरल अपशिष्ट 125, प्रतिदिन 3 तथा गैसीय अपशिष्ट - 26000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा
5.	लिक्विड भंडारण टैंक	1000 क्षमता - 2 x 250 घनमीटर मीट्रिक टन	1000 क्षमता - 2 x 250 घनमीटर मीट्रिक टन
6.	लिक्विड भंडारण टैंक	1000 क्षमता - 2 x 30 घनमीटर मीट्रिक टन	1000 क्षमता - 2 x 30 घनमीटर मीट्रिक टन

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को अनंतिम रूप से मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : तथापि, विकास आयुक्त एफएआर आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की जाने वाली मात्रा के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रदान करेंगे, जिसके बाद औपचारिक अनुमोदन जारी किया जा सकता है।

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 10 टावर वाले टाइप ए अपार्टमेंट	22260	11130
2.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 42 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 1 टावर वाले टाइप बी अपार्टमेंट	2013.55	1007
3.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 15	25210.50	12605

	टावर वाले टाइप सी अपार्टमेंट		

(iii) मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीबी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया:

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	चार सितारा श्रेणी का होटल	6688 (44.00 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 152 कमरे)	6688 (44.00 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 152 कमरे)
	होटल में निम्नलिखित सहायता सुविधाएं होंगी :		
I.	स्वीमिंग पूल	180	180
II.	हेल्थ क्लब	100	100
III.	जिम	500	500
IV.	व्यवसाय केन्द्र	300	300
V.	बैंक्वेट रूम	600	600
VI.	रेस्टोरेंट एंड लिकर बार	500	500
VII.	इंट्रेंस लॉबी	380.26	380.26

(iv) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एफएआर की दृष्टि से एसईजेड के लिए अधिकतम अनुमत एफएआर 16000 वर्गमीटर है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक परिसर / कार्यालय स्थान के 32000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए विकासक के प्रस्ताव को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 39.6 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) त्रिक्काकारा उत्तर गांव, कानयान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर ''सोलर फोटो वाल्टिक'' से बदलकर ''सोलर फोटो वाल्टिक सहित गैर परंपरागत ऊर्जा'' करने के लिए मैसर्स कार्बोरूंडम यूनिवर्सल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "सोलर फोटोवाल्टिक" से बदलकर "सोलर फोटोवाल्टिक सहित गैर परंपरागत ऊर्जा" करने के लिए मैसर्स कार्बोरूंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ''इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर'' को शामिल करने के लिए मैसर्स इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ''इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर'' को शामिल करने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) नंजनगुड, मैसूर जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ''आईटी / आईटीईएस'' को शामिल करने के लिए मैसर्स डा. ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "आईटी / आईटीईएस" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" करने / ब्राडबैंडिंग के लिए मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ओप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 39.7 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में परिधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मद को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, मद को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) बैकमपैडी, दक्षिण कन्नड़ जिला के पास, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स एवं पेट्रोलियम सेक्टर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 5.64 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 581.281 हेक्टेयर रह जाएगा, के लिए मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 39.8 : मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शोलिंगानल्लूर, टम्बारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से संबंधित मुद्दे

(i) भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने तथा कुछ अंश को शामिल करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) अलमेलू मंगापुरम और गणपति सिंडिकेट आवासीय प्लाट स्वामी कल्याण संगठन, शेलिंगनल्लूर द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 8 मार्च 2010

बताया गया कि 2007 में एसईजेड अधिसूचित किया गया था जिसके बाद 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के संबंध में अलमेलू मंगापुरम और गणपति सिंडीकेट रेजीडेंशियल प्लाट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, शोलिंगनल्लूर द्वारा चुनौती दी गई है। इस मामले में एसोसिएशन चेन्नई उच्च न्यायालय पहुंच गया है तथा अंतिम निस्तारण की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच एसोसिएशन ने 2007 में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त करने के लिए वाणिज्य विभाग ने अपील की / अभिवेदन प्रस्तुत किया। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था इसलिए वाणिज्य विभाग ने बताया कि उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है। एसोसिएशन ने अपील के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के परमादेश के लिए याचिका दाखिल की और उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि वाणिज्य विभाग 12 फरवरी 2010 के उच्च न्यायालय के निर्णय से 8 सप्ताह के अंदर अपील पर विचार करे। विकासक ने 13.08.4 हेक्टेयर के विवादित क्षेत्र के विमुक्तीकरण के लिए अनुरोध किया है तथा 5.72.1 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए अनुरोध किया है जिससे सुनिश्चित होगा कि वे भूमि संबंधी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चूंकि क्षेत्र के स्वामित्व का निस्तारण किया जाना है और यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए राज्य सरकार की स्पष्ट सिफारिश प्राप्त की जाए और अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत की जाए। इस बीच विकासक को अंतिम निर्णय लिए जाने तक भूमि पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तद्नुसार एसोसिएशन की अपील को भी निस्तारित समझा जाए।

मद संख्या 39.9 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) माउंट पूनामल्ली हाई रोड, इयापंतागल, पोरूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने माउंट पूनामल्ली हाई रोड, इयापंतागल, पोरूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.194 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास

आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

(ii) नल्लांबकम गांव, चेंगलपुट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नल्लांबकम गांव, चेंगलपुट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में में 10.17.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफोपार्क लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं। इसके अलावा, विकासक एसईजेड के लिए तैनात किए गए स्टाफ के लागत वसूली प्रभारों का भी भुगतान करे।

(iii) वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 39.10 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएसके एसईजेड प्रोजेक्ट्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स डीएसके एसईजेड प्रोजेक्ट्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) तिरुपल्या तथा मारागंदनहल्ली गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हेबे इनफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने तिरुपल्या तथा मारागंदनहल्ली गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स हेबे इनफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 39.11 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नंजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

(iv) शिजरा किला बंदी गांव, बादशाहपुर तहसील, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मोहन इनवेस्टमेंट्स एवं प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) आरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ड्रू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) घोडबंडर गांव, मीरा रोड तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आएनए बिल्डर्स का अनुरोध

(vii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(viii) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(ix) नारीवल्ली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) मंजुसर गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(xi) जिगनी औद्योगिक क्षेत्र, अट्टीबेली तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

(xii) कोकापेट गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) का अनुरोध

(xiii) सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(xv) सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 39.12 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(iv) इंदौर, मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडीकैप आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र, मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

(vi) टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) प्लाट नंबर 2 और 2 ए, सेक्टर टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स नीति टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

(viii) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 26 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ix) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

(xi) मोहाली, पंजाब में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

(xii) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) भिवाडी, अलवर जिला, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 39.13 : सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित सह विकासकों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) अट्टीप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(ii) कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

मद संख्या 39.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने कांडला, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की तिथि से अर्थात 11 जनवरी 2010 से दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 39.15 : मैसर्स आस्कर इंटरनेशनल जो केएएसईजेड की एक यूनिट है, के मौजूदा एलओए में सिगरेट को शामिल करने / ब्राड बैंडिंग के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड का अनुरोध

नोट किया गया कि सिगरेट को शामिल करने के लिए अनुमोदनों की ब्राड बैंडिंग पर रोक लगाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 39.16 : एसईजेड से दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुमत करने के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मद संख्या 39.17 : इंदौर एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रकाश ओवरसीज का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ये बहुत संवेदनशील उत्पाद हैं तथा इन उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। ऐसी नीति के उपलब्ध न होने तक अनुमोदन बोर्ड ने दालों के आयात, प्रसंस्करण, व्यापार एवं निर्यात के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स प्रकाश ओवरसीज के अनुरोधों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 39.18 : अप्रयुक्त माल के विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध

(i) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा अप्रयुक्त माल के विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड का अनुरोध

(ii) तलवाडे, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रयुक्त माल के विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि ये दोनों प्रस्ताव यूनिट अनुमोदन समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और तद्नुसार यूनिट अनुमोदन समिति के विचार प्रस्तावों को उसके पास वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 39.19 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि अस्पताल की सेवाओं को केवल नोकिया जोन, समीपवर्ती एसईजेड जोन तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों तक सीमित करने संबंधी शर्त में

छूट प्रदान करना आवश्यक है क्योंकि यह अस्पताल जिस क्षेत्र में स्थित है वहां अच्छी चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तों से अस्पताल की लाभप्रदता भी प्रभावित होती है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अभी तक अस्पताल निर्मित नहीं हुआ है और लगाई गई शर्तों को शिथिल करना असामयिक है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया था तथा निदेश दिया कि शर्तों में ढील प्रदान करने के लिए सह विकासक से विस्तृत औचित्य प्राप्त किया जाए जिसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि नोकिया जैसा विशाल एसईजेड तथा आसपास के अन्य एसईजेड पर्याप्त पेशेंट लोड प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं।

मद संख्या 39.20 : मैसर्स नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के संबंधों में नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस मुद्दे पर 5 बैठकें होने के बावजूद अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि इस नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने 11 फरवरी 2014 तक मैसर्स नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी की वैधता अवधि इस शर्त के अधीन बढ़ाने का निर्णय लिया कि यूनिट को इस संबंध में अंतिम नीति का पालन करना होगा।

मद संख्या 39.21 : खेड, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया कि खेड़ एसईजेड के संबंध में मुद्दा यह है कि अन्य जिला सड़क (ओडीआर) नंबर 36 का कुछ भाग एसईजेड से गुजर रहा है। विकासक ने आम जनता के लिए खुली पहुंच का सुनिश्चय करने के लिए ओडीआर के इस अंश के दोनों ओर चारदीवारी का निर्माण करने तथा एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के संबंध में सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर फ्लाईओवर के निर्माण पर व्यय से विकासक पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है और अंततः परियोजना की लाभप्रदता प्रभावित होती है। एसईजेड से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाइनों की तरह, जिनके बारे में माना जाता है कि इनसे सन्निकटता प्रभावित नहीं होती है, एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से गुजरने वाली सार्वजनिक सड़कों, कार्ट ट्रैक आदि के संबंध में भी यही सिद्धांत अपनाया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि इस संबंध में प्रारूप नीति तैयार की जाए और विचार करने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

मद संख्या 39.22 : सह विकासक का स्टेटस अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स पुणे खराडी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए मैसर्स मैपल ट्री मारीशस 2 लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड को प्रदान किया गया अनुमोदन उसकी सहायक कंपनी मैसर्स पुणे खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित किया गया है। इस अंतरण से संबद्ध कराधान की अपेक्षित औपचारिकताएं सह विकासक द्वारा पूरी की जाएंगी।

पूरक एजेंडा

राजस्व विभाग के अनुरोध पर पूरक एजेंडा में सूचीबद्ध मदों को आस्थगित कर दिया गया।

*****

अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 9 अप्रैल, 2010 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. डा. राहुल खुल्लर, बीओए अध्यक्ष एवं सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्री एस के गोयल, सदस्य (सीमा शुल्क), सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्रीमती प्रवीण महाजन, महानिदेशक (डीजी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री गुरदीप सिंह, अपर निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
6. श्री अलकेश शर्मा, सचिव (उद्योग), केरल सरकार
7. श्री बिद्युत स्वेन, उद्योग आयुक्त, गुजरात
8. श्री राजीव रंजन, प्रधान सचिव, उद्योग, तमिलनाडु सरकार
9. श्री टी एल सत्य प्रकाश, निदेशक, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार
10. श्री बी सैम बाब, प्रधान सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग), आंध्र प्रदेश सरकार
11. श्री डी पी मोहंती, अपर सचिव, उड़ीसा सरकार, उद्योग विभाग
12. श्री डी एस चतुर्वेदी, उप निदेशक, उद्योग, मध्य प्रदेश सरकार
13. श्री ओ पी शर्मा, वैज्ञानिक-ई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
14. श्री दिनेश पहाड़िया, उप महाप्रबंधक, रिको, राजस्थान सरकार
15. श्री ए एस दास, डीजीएम, इडको, उड़ीसा सरकार
16. श्री ए के धाम, संपर्क अधिकारी, उड़ीसा सरकार
17. श्री ओ पी कपूर, उप महानिदेशक, ईपीसीईएस, नई दिल्ली
18. सुश्री वलसाला हरिहरण, डीडीजी, डीजीएफटी
19. श्री तेवतिया, सहायक निदेशक (डब्ल्यूटीओ), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
20. श्री यू के भरद्वाज, अनुभाग अधिकारी, गृह मंत्रालय

विकास आयुक्तों की सूची

21. श्री अजय मित्तल, विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई
22. श्रीमती माया डी केम, विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड मंद्रा, गुजरात
23. श्री एम एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
24. श्री अरुण कुमार बिट, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड, कोलकाता
25. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
26. श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त, सीएसईजेड, कोच्चि
27. श्रीमती श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड, मुंबई
28. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपी एसईजेड
29. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
30. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड, जामनगर, गुजरात
31. श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दहेज एसईजेड

32. श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
33. श्री ओंकार राय, निदेशक, एसटीपीआई, इलेक्ट्रानिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कम्प्लेक्स, नई दिल्ली
34. श्री सीवीडी रामप्रसाद, निदेशक, एसटीपीआई (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, नोएडा
35. श्री जे पार्थसारथी, निदेशक, एसटीपीआई (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, चेन्नई, तमिलनाडु
36. श्री पी वेनूगोपाल, निदेशक, एसटीपीआई, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), हैदराबाद आंध्र प्रदेश
37. श्री एस के अग्रवाल, निदेशक, एसटीपीआई, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड महाराष्ट्र
38. श्री आर राजलक्ष्मी, निदेशक, एसटीपीआई एवं विकास आयुक्त, बंगलौर, कर्नाटक
39. श्री अजय शर्मा, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, गुजरात
40. श्री कमलेश कुमार, विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड, केरल
41. श्री मानस रंजन पांडा, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), भुवनेवश्वर, उड़ीसा

वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

42. श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
43. श्री टी श्रीनिधि, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
44. श्री आर के पांडे, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
45. श्री विनोद कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग
46. श्री अचिंत कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग

****